



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260677
CG-DL-E-01022025-260677

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/ माघ 10, 1946

No. 548]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30 2025/ MAGHA 10, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

का.आ. 552(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 967 तारीख 29/02/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH-48 के कि.मी. 592.240 से कि.मी. 658.000(कागल-सातारा सेक्षन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23.04.2024" को "इंडियन एक्सप्रेस" और "सकाल" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH-48 के कि.मी. 592.240 से कि.मी. 658.000 (कागल-सातारा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमी का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सांगली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वाळवा					
गांव का नाम: कासेगाव					
1	१०१३ अंशतः	निजी	कृषिक	0.035	धनजय दामोदर जोशी, बाळकृष्ण दत्तात्रय जोशी, मोरेश्वर दत्तात्रय जोशी, विजय दामोदर जोशी,
2	१०३३ अंशतः	निजी	कृषिक	0.0325	संगीता नितीन वीर, श्रीकांत रामचंद्र जोशी, 1033/1 Part
3	२२४१ अंशतः	निजी	कृषिक	0.0355	ग्रामपंचायत कासेगाव, मा.जिल्हाधिकारी
4	३४८९ अंशतः	निजी	कृषिक	0.0347	ग्रामपंचायत कासेगाव, मा.जिल्हाधिकारी
Total				0.1377	

[फा. सं. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2025

S.O. 552(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **967 Dated:29/02/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/Six Laning, etc.), maintenance, management and operation

of NH-48 in the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 658.000 (Kagal-Satara Section) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Indian Express” and “Daily Sakal” both dated 23.04.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 592.240 to Km. 658.000 (Kagal-Satara Section) of NH-48 in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SANGLI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Walwa					
Village: Kasegaon					
1	1013 Part	Private	Agriculture	0.035	Dhanjay Damodar Joshi , Balkrushna Dattatray Joshi , Moreshwar Dattatray Joshi , Vijay Damodar Joshi,
2	1033 Part	Private	Agriculture	0.0325	Sangeeta Nitin veer , Shrikant Ramchandra Joshi, 1033/1 Part
3	2241 Part	Private	Agriculture	0.0355	Gram panchyat Kasegaon , Hon District Collector
4	3489 Part	Private	Agriculture	0.0347	Gram panchyat Kasegaon , Hon District Collector
Total				0.1377	

[F. No. LA/PSK/6Laning/1050/2009/3D]

ABHAY JAIN, Director